विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के प्रस्तावों पर विचार करने के लिए 4 जून, 2008 को पूर्वाह्न 10.00 बजे आयोजित एसईजेड के लिए अनुमोदन बोर्ड की 26वीं बैठक का कार्यवृत्त

अधिसूचित / अनुमोदित एसईजेड के संबंध में विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) स्थापित करने के प्रस्तावों तथा विविध अनुरोधों पर विचार करने के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) के लिए अनुमोदन बोर्ड (बीओए) की छबीसवीं (26वीं) बैठक श्री गोपाल के पिल्लई, सचिव, वाणिज्य विभाग की अध्यक्षता में 22 सितंबर, 2008 को पूर्वाह्न 10.00 बजे कमरा नंबर 108, उद्योग भवन, नई दिल्ली में हुई। प्रतिभागियों की सूची संलग्न है (अनुबंध 1)।

2. अनुमोदन बोर्ड के सदस्यों को संबोधित करते हुए अध्यक्ष ने सूचित किया कि एसईजेड की स्थापना के लिए प्रदान किए गए 467 औपचारिक अनुमोदनों में से अब तक 225 एसईजेड अधिसूचित हो चुके हैं। उन्होंने बताया कि 31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार अधिसूचित एसईजेड में 69,350 करोड़ रुपए का कुल निवेश किया गया है। अध्यक्ष ने यह भी सूचित किया कि एसईजेड अधिनियम एवं नियमावली के लागू होने के बाद एसईजेड में सृजित कुल वृद्धिमूलक रोजगार 2.01 लाख व्यक्तियों के लिए है। उन्होंने यह भी बताया कि 2007-08 में एसईजेड से 66,638 करोड़ रुपए का भौतिक निर्यात किया गया, जो वर्ष 2007-08 की तुलना में 92 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। वर्ष 2008-09 के लिए 1,25,950 करोड़ रुपए का निर्यात होने का अनुमान है।

(क) औपचारिक अनुमोदनों के लिए निर्णय :

1. कोमाडी गांव, मधुरावाड़ा मंडल, विशाखापत्तनम जिला, आंध्र प्रदेश में 17.25 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए डेक्कन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लैंड होल्डिंग्स लिमिटेड का अनुरोध (मद संख्या 1 - क्रमांक 2) :

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि भूमि पर विकासक का कब्जा है। राज्य सरकार ने भी प्रस्ताव की सिफारिश की है। तद्नुसार, अनुमोदन बोर्ड ने कोमाडी गांव, मधुरावाड़ा मंडल, विशाखापत्तनम जिला, आंध्र प्रदेश में 17.25 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में डेक्कन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लैंड होल्डिंग्स लिमिटेड द्वारा आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए गृह मंत्रालय से सुरक्षा स्वीकृति के अधीन औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

2. कुकटपल्ली गांव, बालानगर मंडल, रंगारेड्डी जिला, आंध्र प्रदेश में 10.11 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए डेक्कन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लैंड होल्डिंग्स लिमिटेड का अनुरोध (मद संख्या 1 - क्रमांक 2) :

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि भूमि पर विकासक का कब्जा है। राज्य सरकार ने भी प्रस्ताव की सिफारिश की है। तद्नुसार, अनुमोदन बोर्ड ने कुकटपल्ली गांव, बालानगर मंडल, रंगारेड्डी जिला, आंध्र प्रदेश में 10.11 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में डेक्कन इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड लैंड होल्डिंग्स लिमिटेड द्वारा

आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

3. कोतवालगुडा ग्राम, शमशाबाद मंडल, रंगारेड्डी जिला, आंध्र प्रदेश में 10.11 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए डेक्कन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लैंड होल्डिंग्स लिमिटेड का अनुरोध (मद संख्या 1 - क्रमांक 3) :

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि भूमि पर विकासक का कब्जा है। राज्य सरकार ने भी प्रस्ताव की सिफारिश की है। तद्नुसार, अनुमोदन बोर्ड ने कोतवालगुडा ग्राम, शमशाबाद मंडल, रंगारेड्डी जिला, आंध्र प्रदेश में 10.11 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में डेक्कन इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड लैंड होल्डिंग्स लिमिटेड द्वारा आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

4. बच्चूपल्ली ग्राम, कुतबुल्लापुर मंडल, रंगारेड्डी जिला, आंध्र प्रदेश में 20.23 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए डेक्कन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लैंड होल्डिंग्स लिमिटेड का अनुरोध (मद संख्या 1 - क्रमांक 4) :

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि भूमि पर विकासक का कब्जा है। राज्य सरकार ने भी प्रस्ताव की सिफारिश की है। तद्नुसार, अनुमोदन बोर्ड ने बच्चूपल्ली ग्राम, कुतबुल्लापुर मंडल, रंगारेड्डी जिला, आंध्र प्रदेश में 20.23 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में डेक्कन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लैंड होल्डिंग्स लिमिटेड द्वारा आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

5. कोहेडा ग्राम, हयातनगर मंडल, रंगारेड्डी जिला, आंध्र प्रदेश में 40 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटी / आईटीईएस सहित इलेक्ट्रानिक हार्डवेयर और साफ्टवेयर के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए डेक्कन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लैंड होल्डिंग्स लिमिटेड का अनुरोध (मद संख्या 1 - क्रमांक 5) :

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि भूमि पर विकासक का कब्जा है। राज्य सरकार ने भी प्रस्ताव की सिफारिश की है। तद्नुसार, अनुमोदन बोर्ड ने कोहेडा ग्राम, हयातनगर मंडल, रंगारेड्डी जिला, आंध्र प्रदेश में 40 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में डेक्कन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लैंड होल्डिंग्स लिमिटेड द्वारा आईटी / आईटीईएस सहित इलेक्ट्रानिक हार्डवेयर और साफ्टवेयर के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

6. परदेसीपालम गांव, मधुरावाड़ा मंडल, विशाखापत्तनम जिला, आंध्र प्रदेश में 15.78 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए डेक्कन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लैंड होल्डिंग्स लिमिटेड का अनुरोध (मद संख्या 1 - क्रमांक 6) :

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि भूमि पर विकासक का कब्जा है। राज्य सरकार ने भी प्रस्ताव की सिफारिश की है। तद्नुसार, अनुमोदन बोर्ड ने परदेसीपालम गांव, मधुरावाड़ा मंडल, विशाखापत्तनम जिला, आंध्र प्रदेश में 15.78 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में डेक्कन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लैंड होल्डिंग्स लिमिटेड द्वारा आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए गृह मंत्रालय से सुरक्षा स्वीकृति के अधीन औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

7. नालेज पार्क 4, इकोटेक 3 के पास, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश में 10 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटी के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए मैसर्स डायमंड इंफ्राकॉन प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध (मद संख्या 1 - क्रमांक 7) :

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि भूमि पर विकासक का कब्जा है। राज्य सरकार ने भी प्रस्ताव की सिफारिश की है। तद्नुसार, अनुमोदन बोर्ड ने नालेज पार्क 4, इकोटेक 3 के पास, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश में 10 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में मैसर्स डायमंड इंफ्राकॉन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा आईटी के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

8. ग्राम तिरुपाल्या, तालुक अनेकल, जिला बंगलौर, कर्नाटक में 25.50 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में इलेक्ट्रानिक हार्डवेयर, साफ्टवेयर एवं आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए मैसर्स हीरा रीयलकॉन प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध (मद संख्या 1 - क्रमांक 8) :

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि भूमि पर विकासक का कब्जा है। राज्य सरकार ने भी प्रस्ताव की सिफारिश की है। तद्नुसार, अनुमोदन बोर्ड ने ग्राम तिरुपाल्या, तालुक अनेकल, जिला बंगलौर, कर्नाटक में 25.50 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में मैसर्स हीरा रीयलकॉन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा इलेक्ट्रानिक हार्डवेयर, साफ्टवेयर एवं आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

9. ग्राम मकरब, तालुक एवं जिला अहमदाबाद, गुजरात में 11.4224 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए मैसर्स एसजीवी इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध (मद संख्या 1 - क्रमांक 9) :

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि भूमि पर विकासक का कब्जा है। राज्य सरकार ने भी प्रस्ताव की सिफारिश की है। तद्नुसार, अनुमोदन बोर्ड ने ग्राम मकरब, तालुक एवं जिला अहमदाबाद, गुजरात में 11.4224 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में मैसर्स एसजीवी इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

10. वड़ोदरा, गुजरात में 10 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए मैसर्स लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड का अनुरोध (मद संख्या 1 - क्रमांक 10) :

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि भूमि पर विकासक का कब्जा है। राज्य सरकार ने भी प्रस्ताव की सिफारिश की है। तद्नुसार, अनुमोदन बोर्ड ने वड़ोदरा, गुजरात में 10 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में मैसर्स लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड द्वारा आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

11. ग्राम पद्घावली, तालुका सुधगढ़, जिला रायगढ़, महाराष्ट्र में 17.227 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटी / आईटीईएस सहित इलेक्ट्रानिक हार्डवेयर एवं साफ्टवेयर के लिए विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए मैसर्स रामेश्वर वैभव डवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध (मद संख्या 1 - क्रमांक 11) :

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि 20 मार्च 2008 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की बैठक में प्रस्ताव आस्थिगत कर दिया गया था क्योंकि भूमि का स्वामित्व एवं कब्जा कंपनी के पास नहीं था। यह भी नोट किया गया कि विकासक ने भूमि का 7/12 उद्धरण प्रस्तुत किया है जिससे यह पुष्टि होती है कि अब भूमि विकासक के कब्जे में है। राज्य सरकार ने भी प्रस्ताव की सिफारिश की है। तद्नुसार, अनुमोदन बोर्ड ने ग्राम पद्घावली, तालुका सुधगढ़, जिला रायगढ़, महाराष्ट्र में 17.227 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में मैसर्स रामेश्वर वैभव डवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड द्वारा आईटी / आईटीईएस सहित इलेक्ट्रानिक हार्डवेयर एवं साफ्टवेयर के लिए विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

12. गधिंगलाज, जिला कोल्हापुर, महाराष्ट्र में 100 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में मेटल के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए मैसर्स ग्रीमैक इन्फ्रास्ट्रक्चर इक्विपमेंट्स एंड प्रोजेक्ट्स का अनुरोध (मद संख्या 2 - क्रमांक 1) :

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि भूमि पर विकासक का कब्जा है। राज्य सरकार ने भी प्रस्ताव की सिफारिश की है। तद्नुसार, अनुमोदन बोर्ड ने गधिंगलाज, जिला कोल्हापुर, महाराष्ट्र में 100 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में मैसर्स ग्रीमैक इन्फ्रास्ट्रक्चर इक्विपमेंट्स एंड प्रोजेक्ट्स द्वारा मेटल के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

13. केसरडे, तालुक खंडाला, जिला सतारा, महाराष्ट्र में 200 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में इंजीनियरिंग के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम का अनुरोध (मद संख्या 2 - क्रमांक 2) :

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि भूमि पर विकासक का कब्जा है। राज्य सरकार ने भी प्रस्ताव की सिफारिश की है। तद्नुसार, अनुमोदन बोर्ड ने केसरडे, तालुक खंडाला, जिला सतारा, महाराष्ट्र में 200

हेक्टेयर के क्षेत्रफल में महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम द्वारा इंजीनियरिंग के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

14. सर्वे नंबर 948, चिनाकोंडूर (पूर्व), आंध्र प्रदेश में 100 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में एडिक्टिव सहित फर्मास्युटिकल उत्पादों एवं चिकित्सा डिवाइसों के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए डेक्कन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लैंड होल्डिंग्स लिमिटेड का अनुरोध (पूरक एजेंडा की मद संख्या 1 - क्रमांक 2) :

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि भूमि पर विकासक का कब्जा है। राज्य सरकार ने भी प्रस्ताव की सिफारिश की है। तदनुसार, अनुमोदन बोर्ड ने सर्वे नंबर 948, चिनाकोंडूर (पूर्व), आंध्र प्रदेश में 100 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में डेक्कन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लैंड होल्डिंग्स लिमिटेड द्वारा एडिक्टिव सहित फर्मास्युटिकल उत्पादों एवं चिकित्सा डिवाइसों के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए गृह मंत्रालय से सुरक्षा स्वीकृति के अधीन औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

15. अकुटोटापल्ली, आंध्र प्रदेश में 100 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में वस्त्र एवं परिधान, गारमेंट के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए डेक्कन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लैंड होल्डिंग्स लिमिटेड का अनुरोध (पूरक एजेंडा की मद संख्या 1 - क्रमांक 3) :

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि भूमि पर विकासक का कब्जा है। राज्य सरकार ने भी प्रस्ताव की सिफारिश की है। तदनुसार, अनुमोदन बोर्ड ने अकुटोटापल्ली, आंध्र प्रदेश में 100 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में डेक्कन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लैंड होल्डिंग्स लिमिटेड द्वारा वस्त्र एवं परिधान, गारमेंट के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

16. ग्राम मुधवीन, अमंगल मंडल, महबूबनगर जिला, आंध्र प्रदेश में 108.356 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में कृषि एवं पशुधन उत्पाद तथा संबद्ध सेवाओं के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए डेक्कन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लैंड होल्डिंग्स लिमिटेड का अनुरोध (पूरक एजेंडा की मद संख्या 1 - क्रमांक 4) :

नोट किया गया कि दो भिन्न गतिविधियों अर्थात कृषि एवं पशुधन उत्पाद के लिए एसईजेड का प्रस्ताव किया गया है जो एकल सेक्टर में परिबद्ध नहीं है। राज्य सरकार के प्रतिनिधि ने बताया कि एसईजेड में मुख्य रूप से इंजीनियरिंग से संबंधित गतिविधियां संचालित की जाएंगी, इसलिए इसे इंजीनियरिंग के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड के रूप में अनुमोदित किया जा सकता है। अनुमोदन बोर्ड ने आगे नोट किया कि भूमि पर विकासक का कब्जा है। राज्य सरकार ने भी प्रस्ताव की सिफारिश की है। तदनुसार, अनुमोदन बोर्ड ने ग्राम मुधवीन, अमंगल मंडल, महबूबनगर जिला, आंध्र प्रदेश में 108.356 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में डेक्कन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लैंड होल्डिंग्स लिमिटेड द्वारा इंजीनियरिंग के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

17. ग्राम देसरापल्ली, मुगुलू मंडल, मेडक जिला, आंध्र प्रदेश में 20.23 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में जैव प्रौद्योगिकी के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए डेक्कन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लैंड होल्डिंग्स लिमिटेड का अनुरोध (पूरक एजेंडा की मद संख्या 1 - क्रमांक 5) :

राजस्व विभाग ने कहा कि सबसे पहले एसईजेड की सन्निकटता का सुनिश्चय किया जाए। सूचित किया गया कि विकासक से एक संदर्भ प्राप्त हुआ है जिसमें पुष्टि की गई है कि एसईजेड का संपूर्ण क्षेत्र संस्पर्शी है। अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि भूमि पर विकासक का कब्जा है। राज्य सरकार ने भी प्रस्ताव की सिफारिश की है। तदनुसार, अनुमोदन बोर्ड ने ग्राम देसरापल्ली, मुगुलू मंडल, मेडक जिला, आंध्र प्रदेश में 20.23 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में डेक्कन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लैंड होल्डिंग्स लिमिटेड द्वारा जैव प्रौद्योगिकी के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए गृह मंत्रालय से सुरक्षा स्वीकृति के अधीन औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

18. ग्राम मामिडीपल्ली, सरुर नगर मंडल, रंगारेड्डी जिला, आंध्र प्रदेश में 40.469 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में एफटीडब्ल्यूजेड के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए डेक्कन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लैंड होल्डिंग्स लिमिटेड का अनुरोध (पूरक एजेंडा की मद संख्या 1 - क्रमांक 6) :

राजस्व विभाग ने कहा कि सबसे पहले एसईजेड की सन्निकटता का सुनिश्चय किया जाए। सूचित किया गया कि विकासक से एक संदर्भ प्राप्त हुआ है जिसमें पुष्टि की गई है कि एसईजेड का संपूर्ण क्षेत्र संस्पर्शी है। अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि भूमि पर विकासक का कब्जा है। राज्य सरकार ने भी प्रस्ताव की सिफारिश की है। तदनुसार, अनुमोदन बोर्ड ने ग्राम मामिडीपल्ली, सरुर नगर मंडल, रंगारेड्डी जिला, आंध्र प्रदेश में 40.469 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में डेक्कन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लैंड होल्डिंग्स लिमिटेड द्वारा एफटीडब्ल्यूजेड के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

19. ग्राम अमंगल, अमंगल मंडल, महबूबनगर जिला, आंध्र प्रदेश में 41.056 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में एफटीडब्ल्यूजेड के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए डेक्कन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लैंड होल्डिंग्स लिमिटेड का अनुरोध (मद संख्या 1 - क्रमांक 7) :

राजस्व विभाग ने कहा कि सबसे पहले एसईजेड की सन्निकटता का सुनिश्चय किया जाए। सूचित किया गया कि विकासक से एक संदर्भ प्राप्त हुआ है जिसमें पुष्टि की गई है कि एसईजेड का संपूर्ण क्षेत्र संस्पर्शी है। अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि भूमि पर विकासक का कब्जा है। राज्य सरकार ने भी प्रस्ताव की सिफारिश की है। तदनुसार, अनुमोदन बोर्ड ने ग्राम अमंगल, अमंगल मंडल, महबूबनगर जिला, आंध्र प्रदेश में 41.056 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में डेक्कन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लैंड होल्डिंग्स लिमिटेड द्वारा एफटीडब्ल्यूजेड के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

20. ग्राम अमंगल, अमंगल मंडल, महबूबनगर जिला, आंध्र प्रदेश में 16.20 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में रत्न एवं आभूषण के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए डेक्कन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लैंड होल्डिंग्स लिमिटेड का अनुरोध (पूरक एजेंडा की मद संख्या 1 - क्रमांक 8) :

राजस्व विभाग ने कहा कि सबसे पहले एसईजेड की सन्निकटता का सुनिश्चय किया जाए। सूचित किया गया कि विकासक से एक संदर्भ प्राप्त हुआ है जिसमें पुष्टि की गई है कि एसईजेड का संपूर्ण क्षेत्र संस्पर्शी है। अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि भूमि पर विकासक का कब्जा है। राज्य सरकार ने भी प्रस्ताव की सिफारिश की है। तद्नुसार, अनुमोदन बोर्ड ने ग्राम अमंगल, अमंगल मंडल, महबूबनगर जिला, आंध्र प्रदेश में 16.20 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में डेक्कन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लैंड होल्डिंग्स लिमिटेड द्वारा रत्न एवं आभूषण के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

21. बीएआईएल एयरपोर्ट, देवनहल्ली, बंगलौर, कर्नाटक में 113 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में एयरपोर्ट आधारित एसईजेड के लिए विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए बंगलौर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड का अनुरोध (पूरक एजेंडा की मद संख्या 1 - क्रमांक 9) :

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि 20 मार्च, 2008 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की बैठक में प्रस्ताव आस्थिगत कर दिया गया था तथा विकासक से प्रस्ताव पर विस्तृत प्रस्तुति देने का अनुरोध किया गया। विकासक ने प्रस्ताव पर प्रस्तुति दी तथा स्पष्ट किया कि एसईजेड में एमआरओ अनुरक्षण, मरम्मत तथा एयरक्राफ्ट की ओवरहालिंग, कार्गो विलेज, स्वास्थ्य देखरेख निर्यात तथा हाईटेक विनिर्माण का कार्य किया जाएगा। स्वास्थ्य देखरेख निर्यात के संबंध में, राजस्व विभाग ने बताया कि एसईजेड में स्वास्थ्य देखरेख से संबंधित केवल आईटी समर्थित सेवाएं जैसे कि चिकित्सा प्रतिलेखन आदि संपन्न की जा सकती हैं तथा कोई हास्पिटल स्थापित करने की अनुमति नहीं होगी। अनुमोदन बोर्ड ने आगे नोट किया कि भूमि पर विकासक का कब्जा है। राज्य सरकार ने भी प्रस्ताव की सिफारिश की है। तद्नुसार, अनुमोदन बोर्ड ने बीएआईएल एयरपोर्ट, देवनहल्ली, बंगलौर, कर्नाटक में 113 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में बंगलौर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड द्वारा एयरपोर्ट आधारित एसईजेड के लिए विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

22. ग्राम चोक्कनहल्ली, बंगलौर, में 10.117 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए माइलस्टोन बिल्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध (पूरक एजेंडा की मद संख्या 1 - क्रमांक 10) :

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि भूमि पर विकासक का कब्जा है। राज्य सरकार ने भी प्रस्ताव की सिफारिश की है। तद्नुसार, अनुमोदन बोर्ड ने ग्राम चोक्कनहल्ली, बंगलौर, में 10.117 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में माइलस्टोन बिल्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

23. ग्राम भागन और कुरार इब्राहिमपुर, मुरथल के पास, जिला सोनीपत, हरियाणा में 101.24 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में इंजीनियरिंग के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र की स्थापना के लिए अंसल कामधेनु इंजीनियरिंग एसईजेड लिमिटेड का अनुरोध (पूरक एजेंडा की मद संख्या 1 - क्रमांक 11) :

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि 16 मई 2008 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की बैठक में प्रस्ताव आस्थिगत कर दिया गया था जिसमें अनुमोदन बोर्ड निर्देश दिया था कि विकासक एसपीवी जिसका भूमि पर कानूनी कब्जा है, के नाम में नया प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकता है। अनुमोदन बोर्ड ने यह भी नोट किया कि विकासक ने तद्नुसार एसपीवी कंपनी अर्थात मैसर्स अंसल कामधेनु इंजीनियरिंग एसईजेड लिमिटेड के नाम में नया आवेदन प्रस्तुत किया है, जिसका भूमि पर कब्जा है। राज्य सरकार ने भी प्रस्ताव की सिफारिश की है। तद्नुसार, अनुमोदन बोर्ड ने ग्राम भागन और कुरार इब्राहिमपुर, मुरथल के पास, जिला सोनीपत, हरियाणा में 101.24 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में अंसल कामधेनु इंजीनियरिंग एसईजेड लिमिटेड द्वारा इंजीनियरिंग के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र की स्थापना के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

(ख) आस्थगन के लिए निर्णय :

1. फाल्टन एमआईडीसी, जिला सतारा, महाराष्ट्र में 103.29 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में इंजीनियरिंग के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम का अनुरोध (मद संख्या 2 - क्रमांक 3) :

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि भूमि के बदले में अधिक क्षतिपूर्ति के लिए कुछ मुकदमा चल रहा है। तद्नुसार अनुमोदन बोर्ड ने प्रस्ताव को आस्थगित करने का निर्णय लिया।

2. गोरई मनोरी उत्तान क्षेत्र, मुबई, महाराष्ट्र में 358.4 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में बहु सेवा के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए मैसर्स एस्सेल इनफ्राप्रोजेक्ट्स लिमिटेड (पूर्व में पैन इंडिया प्रयत्न लिमिटेड) का अनुरोध (मद संख्या 2 - क्रमांक 4) :

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि 20 मार्च, 2008 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की बैठक में प्रस्ताव आस्थिगत कर दिया गया था तथा विकासक से प्रस्ताव पर विस्तृत प्रस्तुति देने का अनुरोध किया गया। विकासक ने एसईजेड में संचालित करने के लिए प्रस्तावित गतिविधियों के बारे में प्रस्तुति दी। विकासक ने यह भी बताया कि 110 हेक्टेयर भूमि पर उनका कब्जा है और यह संस्पर्शी है। राजस्व विभाग ने एसईजेड के प्रसंस्करण क्षेत्र के अंदर स्थापित किए जा रहे मनोरंजन पार्क जैसी मास टूरिज्म आधारित गतिविधियों के बारे में आशंका व्यक्त की। विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने विकासक को प्रसंस्करण क्षेत्र तथा गैर प्रसंस्करण क्षेत्र में संचालित करने के लिए प्रस्तावित गतिविधियों का विशिष्ट ब्यौरा प्रदान करने का निर्देश दिया। तद्नुसार, अनुमोदन बोर्ड ने प्रस्ताव को आस्थगित करने का निर्णय लिया।

3. सर्वे नंबर 1058, 1050 और 1060, करीमनगर टाउन, जिला करीमनगर, आंध्र प्रदेश में 10.12 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए आंध्र प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड का अनुरोध (मद संख्या 1 - क्रमांक 1) :

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि संगम अनुच्छेद ज्ञापन के उद्देश्य के रूप में 'एसईजेड का विकास' शामिल नहीं है। तदनुसार, अनुमोदन बोर्ड ने संगम ज्ञापन के अनुच्छेदों में संशोधन के लिए विकासक को निदेश देते हुए प्रस्ताव को आस्थगित करने का निर्णय लिया।

4. गगरेट, ऊना जिला, हिमाचल प्रदेश में मैसर्स स्किल इनफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड द्वारा एयरपोर्ट आधारित एसईजेड की स्थापना के लिए अनुरोध (पूरक एजेंडा : मद संख्या 3) :

राजस्व विभाग ने दोहराया कि केवल मौजूदा एयरपोर्ट के संबंध में एयरपोर्ट आधारित एसईजेड स्थापित किया जा सकता है। इसके अलावा, ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट की स्थापना के लिए विशाल क्षेत्रफल की आवश्यकता होगी जिससे बहुत छोटा प्रसंस्करण क्षेत्र बचेगा। विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने प्रस्तावित एसईजेड पर अधिक ब्यौरा प्रदान करने के लिए विकासक को निर्देश के साथ प्रस्ताव को आस्थगित करने का निर्णय लिया।

मद संख्या 3 : नाम में परिवर्तन करने / नई कंपनी के नाम में अनुमोदन ट्रांसफर करने के लिए अनुरोध

(i) नाम बदलकर मैसर्स डीएलएफ हरियाणा एसईजेड (गुड़गांव) लिमिटेड करने के लिए मैसर्स डीएलएफ लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने नाम बदलकर मैसर्स डीएलएफ हरियाणा एसईजेड (गुड़गांव) लिमिटेड करने के लिए मैसर्स डीएलएफ लिमिटेड के अनुरोध को मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया।

(ii) मैसर्स अनंत फीनिक्स इंफोपार्क्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम में औपचारिक अनुमोदन पत्र के अंतरण के लिए मैसर्स अनंत टेक्नोलाजीज लिमिटेड का अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि मैसर्स अनंत फिनिक्स इनफोपार्क्स प्राइवेट लिमिटेड मैसर्स अनंत टेक्नोलॉजीज लिमिटेड की 100 प्रतिशत सहायक कंपनी है। विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने मैसर्स अनंत फिनिक्स इनफोपार्क्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम में भूमि के अंतरण के अधीन मैसर्स अनंत फिनिक्स इनफोपार्क्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम में औपचारिक अनुमोदन अंतरित करने के लिए मैसर्स अनंत टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के अनुरोध को मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया।

(iii) एसपीवी अर्थात मैसर्स पुणे एंबेसी प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड के नाम में अनुमोदन के अंतरण के लिए मैसर्स डायनेस्टी डवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि मैसर्स पुणे एंबेसी प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड मैसर्स डायनेस्टी डवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड की सहायक कंपनी है। विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने एसपीवी कंपनी के नाम में भूमि के अंतरण के अधीन एसपीवी कंपनी अर्थात मैसर्स पुणे एंबेसी प्राजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड

के नाम में अनुमोदन / अधिसूचना के अंतरण के लिए विकासक के अनुरोध को मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया।

मद संख्या 4 : अधिकृत प्रचालनों के लिए अनुरोध

(i) माउंट पूनामल्ली हाई रोड, इयापंतागल, पोरूर, चेन्नई, तमिलनाडु में आईटी / आईटीईएस एसईजेड में अधिकृत प्रचालनों के लिए मैसर्स एस्ट्रा आईटी पार्क प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

विकासक ने अधिकृत गतिविधियों की आवश्यकता पर विस्तृत प्रस्तुति दी। विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने प्रसंस्करण क्षेत्र में नीचे उल्लेख के अनुसार अधिकृत गतिविधियों के लिए इस शर्त के अधीन मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया कि यह केवल एसईजेड के कर्मचारियों के प्रयोग के लिए होगा :

क्र. सं.	**प्रसंस्करण क्षेत्र में अधिकृत गतिविधि**	**अनुमोदित मात्रा**
1.	शॉपिंग आर्केड / रिटेल सर्विसेज	27871 वर्गमीटर
2.	सर्विस अपार्टमेंट	3716 वर्गमीटर के कुल क्षेत्रफल में 100 यूनिटें
3.	क्लीनिक एवं मेडिकल सेंटर	93 वर्गमीटर
4.	विद्युत उत्पादन	45 मेगावाट (केवल कैप्टिव प्रयोग के लिए)
5.	व्यवसाय / सम्मेलन केन्द्र	4645 वर्गमीटर

(ii) नागपुर, महाराष्ट्र में मिहान एसईजेड के गैर प्रसंस्करण क्षेत्र में रेडी मिक्स कंक्रीट (आरएमसी) प्लांट की स्थापना के लिए मैसर्स महाराष्ट्र एयरपोर्ट डवलपमेंट कंपनी का अनुरोध

राजस्व विभाग ने कहा कि यह गतिविधि अवसंरचना के सृजन से संबंधित नहीं है। विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने इस प्रयोजनार्थ प्रसंस्करण क्षेत्र में यूनिट की स्थापना के लिए विकास आयुक्त / यूनिट अनुमोदन समिति से संपर्क करने के लिए विकासक को सलाह देने का निर्णय लिया।

(iii) ग्राम पोचरम, रंगारेड्डी जिला, आंध्र प्रदेश में आईटी / आईटीईएस एसईजेड में अधिकृत प्रचालनों के लिए मैसर्स सीरीन प्रापर्टीज प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने नीचे उल्लेख के अनुसार एसईजेड के प्रसंस्करण क्षेत्र में अधिकृत गतिविधियों को मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया :

क्र. सं.	**प्रसंस्करण क्षेत्र में अधिकृत गतिविधियां**	**अनुमोदित मात्रा (वर्गमीटर में)**
1.	कैंटीन / कैफेटीरिया / रेस्टोरेंट	1414.33
2.	सम्मेलन कक्ष के साथ बिजनेस सेंटर	215.22
3.	मनोरंजन की इंडोर सुविधाएं	334.24
4.	शौचालय / पैंट्री / स्टोर	704.47
5.	सर्विस / कोरिडोर / लॉबी / स्टेयरकेस	996.35
6.	लान टेनिस कोर्ट	552.65
7.	बहुउद्देशीय कोर्ट	582.90
8.	वाटर रिटेंशन तालाब	845.23
9.	एंफीथिएटर	505.80
10.	बगीचा में बैठने की जगह	405.47

(iv) मुंद्रा, कच्छ, गुजरात में बहु उत्पाद एसईजेड (फेज 2) में अस्पताल स्थापित करने के लिए मैसर्स मुंद्रा पोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने मैसर्स मुंद्रा पोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड द्वारा मुंद्रा, कच्छ, गुजरात में विकसित किए जाने के लिए प्रस्तावित बहु उत्पाद एसईजेड के गैर प्रसंस्करण क्षेत्र में 6500 वर्गमीटर के निर्मित क्षेत्र में 100 बिस्तर वाले अस्पताल की स्थापना के लिए विकासक के अनुरोध को मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया।

मद संख्या 5 : कच्छ जिला, गुजरात में वस्त्र एवं गारमेंट के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड के सेक्टर में परिवर्तन के लिए मैसर्स वूलस्पून अंजार एसईजेड लिमिटेड का अनुरोध

राज्य सरकार के प्रतिनिधि ने प्रस्ताव को आस्थगित करने का अनुरोध किया। तदनुसार, अनुमोदन बोर्ड ने कच्छ जिला, गुजरात में वस्त्र एवं गारमेंट के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड के सेक्टर को बदलकर इंजीनियरिंग करने के लिए मैसर्स वूलस्पून अंजार एसईजेड लिमिटेड के अनुरोध को आस्थगित करने का निर्णय लिया।

मद संख्या 6 : एसईजेड के क्षेत्रफल में परिवर्तन के लिए अनुरोध

(i) राजरहाट, पश्चिम बंगाल में आईटी / आईटीईएस एसईजेड के क्षेत्रफल में परिवर्तन के लिए मैसर्स ओरिऑन आईटी पार्क्स प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने 2 जनवरी 2008 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की बैठक के कार्यवृत्त में संशोधन को मंजूरी प्रदान की जिसके माध्यम से राजरहाट, कोलकाता, पश्चिम बंगाल में मैसर्स ओरियन आईटी पार्क्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा विकसित किए जाने के लिए प्रस्तावित आईटी / आईटीईएस एसईजेड का क्षेत्रफल 28.33 हेक्टेयर से घटाकर 11.46 हेक्टेयर किया गया।

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि राज्य सरकार एसईजेड के अनुमोदित क्षेत्रफल में 20.74 हेक्टेयर की वृद्धि के लिए विकासक के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर चुकी है। राज्य सरकार के प्रतिनिधि ने पुष्टि की कि शामिल करने के लिए प्रस्तावित भूमि पर विकासक का कब्जा है। तद्नुसार, अनुमोदन बोर्ड ने 20.74 हेक्टेयर शामिल करके एसईजेड के क्षेत्रफल में वृद्धि करने के लिए विकासक के अनुरोध को मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया जिससे एसईजेड का कुल क्षेत्रफल 32.20 हेक्टेयर हो जाएगा।

(ii) बीकानेर, राजस्थान में टेक्सटाइल एसईजेड के क्षेत्रफल में परिवर्तन के लिए मैसर्स आरएनबी इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि विकास आयुक्त, नोएडा एसईजेड निरीक्षण रिपोर्ट भेज चुके हैं, जिसमें प्रमाणित किया गया है कि अतिरिक्त क्षेत्रफल पर विकासक का कब्जा है और यह संस्पर्शी है। तद्नुसार, अनुमोदन बोर्ड ने 24.51 हेक्टेयर की अतिरिक्त भूमि शामिल करके एसईजेड के क्षेत्रफल में वृद्धि करने के लिए मैसर्स आरएनबी इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड के अनुरोध को मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया जिससे एसईजेड का कुल क्षेत्रफल 127.92 हेक्टेयर हो जाएगा।

मद संख्या 7 : सह विकासक के लिए अनुरोध

(i) आंध्र प्रदेश के रंगारेड्डी जिले में मैसर्स लहरी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड द्वारा विकसित किए जाने के लिए प्रस्तावित एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स एरिस्टोन प्रापर्टीज प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि पट्टा की अवधि स्पष्ट न होने के कारण अनुमोदन बोर्ड की पिछली बैठकों में प्रस्ताव आस्थगित कर दिया गया था। अनुमोदन बोर्ड ने यह भी नोट किया कि पट्टा की अवधि घटाकर 30 साल की गई है जिसे सह विकासक करार में उपयुक्त ढंग से शामिल किया गया है। तद्नुसार, अनुमोदन बोर्ड ने रंगारेड्डी जिला, आंध्र प्रदेश में मैसर्स लहरी इनफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड द्वारा विकसित किए जाने के लिए प्रस्तावित सेवा क्षेत्र एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स

एरिस्टोन प्रापर्टीज प्राइवेट लिमिटेड के अनुरोध को इस शर्त के अधीन मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया कि संशोधित सह विकासक करार के अनुसार पट्टा करार निष्पादित किया जाएगा।

(ii) डीएलएफ सिटी, गुड़गाव, हरियाणा में डीएलएफ साइबर सिटी डवलचर्स लिमिटेड द्वारा विकसित किए जाने के लिए प्रस्तावित आईटी / आईटीईएस एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स डीएलएफ यूटिलीटीज प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

राज्य सरकार के प्रतिनिधि ने प्रस्ताव को आस्थगित करने का अनुरोध किया। तद्नुसार, अनुमोदन बोर्ड ने डीएलएफ सिटी, गुड़गाव, हरियाणा में मैसर्स डीएलएफ साइबर सिटी डवलपर्स लिमिटेड द्वारा विकसित किए जाने के लिए प्रस्तावित आईटी / आईटीईएस एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स डीएलएफ यूटिलिटीज प्राइवेट लिमिटेड के अनुरोध को आस्थगित करने का निर्णय लिया।

(iii) सिलोखेड़ा, गुड़गाव, हरियाणा में डीएलएफ लिमिटेड द्वारा विकसित किए जाने के लिए प्रस्तावित आईटी / आईटीईएस एसईजेड में सह विकासक के लिए डीएलएफ यूटिलिटी प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

विकासक ने प्रस्ताव पर प्रस्तुति दी। राज्य सरकार के प्रतिनिधि ने प्रस्ताव की सिफारिश की। तद्नुसार, अनुमोदन बोर्ड ने सिलोखेड़ा, गुड़गाव, हरियाणा में मैसर्स डीएलएफ लिमिटेड द्वारा विकसित किए जाने के लिए प्रस्तावित आईटी / आईटीईएस एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स डीएलएफ यूटिलिटीज प्राइवेट लिमिटेड के अनुरोध को मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया। विकासक ने 60 मेगावाट के पावर प्लांट के लिए भी मंजूरी प्रदान करने का अनुरोध किया था। अनुमोदन बोर्ड ने गैर प्रसंस्करण क्षेत्र में 60 मेगावाट के पावर प्लांट के लिए विकासक के अनुरोध को इस शर्त के अधीन मंजूरी प्रदान करने का भी निर्णय लिया कि इसका प्रयोग एसईजेड में केवल कैप्टिव प्रयोजन के लिए किया जाएगा।

(iv) ओरगडम, श्रीपेरंबदूर तालुक, कांचीपुरम जिला, तमिलनाडु में स्टेट इंडस्ट्रीज प्रमोशन कॉर्पोरेशन ऑफ तमिलनाडु (सिपकॉट) द्वारा विकसित किए जाने के लिए प्रस्तावित ट्रेडिंग एवं लाजिस्टिक्स प्रचालन सहित इलेक्ट्रानिक हार्डवेयर एवं संबद्ध सहायता सेवा एसईजेड में सह विकासक के लिए सनमीना - एससीआई टेक्नोलॉजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

सीबीडीटी के प्रतिनिधि ने बताया कि सिपकॉट ने आवेदक को औद्योगिक यूनिट के रूप में, न कि सह विकासक के रूप में भूमि आवंटित की है। सह विकासक कंपनी के प्रतिनिधि ने स्पष्ट किया कि उन्होंने एसईजेड में कोई औद्योगिक यूनिट स्थापित करने के लिए आवेदन नहीं किया है। इसकी बजाय, वे एसईजेड में सह विकासक का दर्जा प्राप्त करना चाहते हैं जहां वे अपनी सहोदर कंपनियों के यूनिट के रूप में आने की उम्मीद कर रहे हैं। विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने ओरगडम, श्रीपेरंबदूर तालुक, कांचीपुरम जिला, तमिलनाडु में स्टेट इंडस्ट्रीज प्रमोशन कॉर्पोरेशन ऑफ तमिलनाडु (सिपकॉट) द्वारा विकसित किए जाने के लिए प्रस्तावित ट्रेडिंग एवं लाजिस्टिक्स प्रचालन सहित

इलेक्ट्रानिक हार्डवेयर एवं संबद्ध सहायता सेवा एसईजेड में सह विकासक के लिए सनमीना - एससीआई टेक्नोलॉजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के अनुरोध को मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया।

(v) दक्षिण 24 परगना, पश्चिम बंगाल में मैसर्स एम एल डाल्मिया एंड कंपनी लिमिटेड द्वारा विकसित किए जाने के लिए प्रस्तावित आईटी / आईटीईएस एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स धुनसेरी टी एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने दक्षिण 24 परगना, पश्चिम बंगाल में मैसर्स एम एल डाल्मिया एंड कंपनी लिमिटेड द्वारा विकसित किए जाने के लिए प्रस्तावित आईटी / आईटीईएस एसईजेड में 3.03 एकड़ के क्षेत्रफल के लिए सह विकासक के लिए मैसर्स धुनसेरी टी एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड के अनुरोध को मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया।

(vi) दक्षिण 24 परगना, पश्चिम बंगाल में मैसर्स एम एल डाल्मिया एंड कंपनी लिमिटेड द्वारा विकसित किए जाने के लिए प्रस्तावित आईटी / आईटीईएस एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स बोनांजा ट्रेडिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने दक्षिण 24 परगना, पश्चिम बंगाल में मैसर्स एम एल डाल्मिया एंड कंपनी लिमिटेड द्वारा विकसित किए जाने के लिए प्रस्तावित आईटी / आईटीईएस एसईजेड में 1.01 एकड़ के क्षेत्रफल के लिए सह विकासक के लिए मैसर्स बोनांजा ट्रेडिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड के अनुरोध को मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया।

(vii) दक्षिण 24 परगना, पश्चिम बंगाल में मैसर्स एम एल डाल्मिया एंड कंपनी लिमिटेड द्वारा विकसित किए जाने के लिए प्रस्तावित आईटी / आईटीईएस एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स मिंट इनवेस्टमेंट्स लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने दक्षिण 24 परगना, पश्चिम बंगाल में मैसर्स एम एल डाल्मिया एंड कंपनी लिमिटेड द्वारा विकसित किए जाने के लिए प्रस्तावित आईटी / आईटीईएस एसईजेड में 2.01 एकड़ के क्षेत्रफल के लिए सह विकासक के लिए मैसर्स मिंट इनवेस्टमेंट्स के अनुरोध को मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया।

(viii) दक्षिण 24 परगना, पश्चिम बंगाल में मैसर्स एम एल डाल्मिया एंड कंपनी लिमिटेड द्वारा विकसित किए जाने के लिए प्रस्तावित आईटी / आईटीईएस एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स रुचि इंफोसिस्टम्स का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने दक्षिण 24 परगना, पश्चिम बंगाल में मैसर्स एम एल डाल्मिया एंड कंपनी लिमिटेड द्वारा विकसित किए जाने के लिए प्रस्तावित आईटी / आईटीईएस एसईजेड में 5.57 एकड़ के क्षेत्रफल के लिए सह विकासक के लिए मैसर्स रुचि इंफोसिस्टम्स के अनुरोध को मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया।

(ix) प्लाट नंबर 202, सेक्टर केपी-V, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश में मैसर्स गैलेंट इनफ्राकॉन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा विकसित किए जाने के लिए प्रस्तावित आईटी / आईटीईएस एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स बीपीटीपी स्पेशल इकोनॉमिक जोन प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

(x) प्लाट नंबर 3, सेक्टर 140ए, नोएडा, उत्तर प्रदेश में मैसर्स जुबिलेंट इनफ्राकॉन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा विकसित करने के लिए प्रस्तावित आईटी / आईटीईएस एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स फास्ट ट्रैक इनफ्राकॉन प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

(xi) तहसील एवं जिला फरीदाबाद, हरियाणा में मैसर्स परपेचुअल इनफ्राकॉन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा विकसित किए जाने के लिए प्रस्तावित आईटी / आईटीईएस एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स ग्रीन स्टार इनफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

(xii) जिला गुड़गांव, हरियाणा में मैसर्स ग्रेसियस बिल्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा विकसित किए जाने के लिए प्रस्तावित आईटी / आईटीईएस एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स माइलस्टोन एसईजेड प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि उपर्युक्त एसईजे अभी तक अधिसूचित नहीं हुए हैं। तद्नुसार, अनुमोदन बोर्ड ने उपर्युक्त सभी चार अनुरोधों को आस्थगित करने का निर्णय लिया।

(xiii) हैदराबाद, आंध्र प्रदेश में डीएलएफ कामर्सियल डवलपर्स लिमिटेड द्वारा विकसित किए जाने के लिए प्रस्तावित आईटी / आईटीईएस एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स डीएलएफ यूटिलिटीज प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

विकासक ने प्रस्ताव पर प्रस्तुति दी। विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने हैदराबाद, आंध्र प्रदेश में मैसर्स डीएलएफ लिमिटेड द्वारा विकसित किए जाने के लिए प्रस्तावित आईटी / आईटीईएस एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स डीएलएफ यूटिलिटीज प्राइवेट लिमिटेड के अनुरोध को मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया। विकासक ने 84 मेगावाट के पावर प्लांट के लिए भी मंजूरी प्रदान करने का अनुरोध किया था। अनुमोदन बोर्ड ने गैर प्रसंस्करण क्षेत्र में 84 मेगावाट के पावर प्लांट के लिए विकासक के अनुरोध को इस शर्त के अधीन मंजूरी प्रदान करने का भी निर्णय लिया कि इसका प्रयोग एसईजेड में केवल कैप्टिव प्रयोजन के लिए किया जाएगा।

(xiv) चेन्नई तमिलनाडु में डीएलएफ इंफो सिटी डवलपर्स लिमिटेड द्वारा विकसित किए जाने के लिए प्रस्तावित आईटी / आईटीईएस एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स डीएलएफ यूटिलिटीज प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

विकासक ने प्रस्ताव पर प्रस्तुति दी। विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने चेन्नई, तमिलनाडु में मैसर्स डीएलएफ लिमिटेड द्वारा विकसित किए जाने के लिए प्रस्तावित आईटी / आईटीईएस एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स डीएलएफ यूटिलिटीज प्राइवेट लिमिटेड के अनुरोध को मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया। विकासक ने 48 मेगावाट के पावर प्लांट के लिए भी मंजूरी प्रदान करने का अनुरोध किया था। अनुमोदन बोर्ड ने गैर प्रसंस्करण क्षेत्र में 48 मेगावाट के पावर प्लांट के लिए विकासक के अनुरोध को इस शर्त के अधीन मंजूरी प्रदान करने का भी निर्णय लिया कि इसका प्रयोग एसईजेड में केवल कैप्टिव प्रयोजन के लिए किया जाएगा।

पूरक एजेंडा :

मद संख्या 2 : सह विकासक के लिए अनुरोध

(i) बंटाला, गंगापुर, पश्चिम बंगाल में मैसर्स एम एल डाल्मिया एंड कंपनी लिमिटेड द्वारा विकसित किए जाने के लिए प्रस्तावित आईटी / आईटीईएस एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स एस्टेक इंफ्राकान प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि 1 मई, 2008 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की बैठक में प्रस्ताव आस्थगित कर दिया गया था। अनुमोदन बोर्ड ने यह भी नोट किया कि सह विकासक ने प्रमोटर / ग्रुप कंपनियों का निवल मूल्य 20.89 करोड़ के रूप में प्रस्तुत किया है। विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने बंटाला, गंगापुर, पश्चिम बंगाल में मैसर्स एम एल डाल्मिया एंड कंपनी लिमिटेड द्वारा विकसित किए जाने के लिए प्रस्तावित आईटी / आईटीईएस एसईजेड में 3.295 एकड़ के क्षेत्रफल के लिए सह विकासक के लिए मैसर्स एस्टेक इंफ्राकान प्राइवेट लिमिटेड के अनुरोध को मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया।

अलग से सीबीडीटी के प्रतिनिधि ने ऐसे मामलों में आयकर विवरणी दाखिल करने का मुद्दा उठाया जहां समान कंपनी सह विकासक और यूनिट के रूप में समान क्षेत्र के लिए काम करती है। इच्छा व्यक्त की गई कि राजस्व विभाग तथा विकास आयुक्त ऐसे मामलों में फील्ड से संगत सूचना प्राप्त कर सकते हैं तथा अनुमोदन बोर्ड की अगली बैठक में स्थिति से अवगत करा सकते हैं।

(ii) मैसर्स एम एल डाल्मिया एंड कंपनी लिमिटेड द्वारा विकसित किए जाने के लिए प्रस्तावित आईटी / आईटीईएस एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स डब्ल्यूडीसी टेक्नोलाजीज प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि 1 मई, 2008 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की बैठक में प्रस्ताव आस्थगित कर दिया गया था। सह विकासक कंपनी के प्रतिनिधि ने प्रस्ताव पर विस्तृत प्रस्तुति दी। विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने मैसर्स एम एल डाल्मिया एंड कंपनी लिमिटेड द्वारा विकसित किए जाने के लिए प्रस्तावित आईटी / आईटीईएस एसईजेड में 6 एकड़ के क्षेत्रफल के लिए सह विकासक के लिए मैसर्स डब्ल्यूडीसी टेक्नोलाजीज प्राइवेट लिमिटेड के अनुरोध को मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया।

(iii) दक्षिण 24 परगना, पश्चिम बंगाल में मैसर्स एम एल डाल्मिया एंड कंपनी लिमिटेड द्वारा विकसित किए जाने के लिए प्रस्तावित आईटी / आईटीईएस एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स फोरम आईटी पार्क्स प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि अनुमोदन बोर्ड की 1 मई 2008 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की बैठक में प्रस्ताव आस्थगित कर दिया गया था क्योंकि विकास करार फोरम प्रोजेक्ट होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड और विकासक के बीच था जबकि सह विकासक का दर्जा प्रदान करने के लिए आवेदन फोरम आईटी पार्क्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किया गया। राजस्व विभाग ने अपने पिछले दृष्टिकोण को दोहराया। समुक्ति का जवाब देते हुए सह विकासक कंपनी के प्रतिनिधि ने कहा कि यदि पिछली व्यवस्था को लेकर कोई आपत्ति है तो वे मैसर्स फोरम प्रोजेक्ट होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम में सह विकासक आवेदन दाखिल करने के लिए तैयार हैं। सह विकासक के रूप में मेसर्स फोरम प्रोजेक्ट होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा आवेदन प्रस्तुत किए जाने के बाद अनुमोदन बोर्ड ने दक्षिण 24 परगना, पश्चिम बंगाल में मैसर्स एम एल डालमिया एंड कंपनी लिमिटेड द्वारा विकसित किए जाने के लिए प्रस्तावित आईटी / आईटीईएस एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स फोरम प्रोजेक्ट होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड के अनुरोध को मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया।

(iv) मुंद्रा, कच्छ जिला, गुजरात में बहु उत्पाद एसईजेड (एमपीएसईजेड - भाग 2) में सह विकासक के लिए मैसर्स एमपीएसईजेड यूटिलिटीज प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

सह विकासक कंपनी के प्रतिनिधि ने प्रस्ताव पर विस्तृत प्रस्तुति दी। उन्होंने अन्य बातों के साथ बताया कि सह विकासक कंपनी विकासक कंपनी की 100 प्रतिशत सहायक कंपनी है जिसका निवल मूल्य 746.35 करोड़ रुपए है। विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने मुंद्रा, कच्छ जिला, गुजरात में बहु उत्पाद एसईजेड (एमपीएसईजेड - भाग 2) में सह विकासक के लिए मैसर्स एमपीएसईजेड यूटिलिटीज प्राइवेट लिमिटेड के अनुरोध को मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया।

(v) मुंद्रा, कच्छ जिला, गुजरात में बहु उत्पाद एसईजेड (एमपीएसईजेड - भाग 2) में सह विकासक के लिए मैसर्स एडीकॉप मुंद्रा एसईजेड इनफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

सह विकासक कंपनी के प्रतिनिधि ने प्रस्ताव पर विस्तृत प्रस्तुति दी। उन्होंने अन्य बातों के साथ बताया कि सह विकासक कंपनी मैसर्स अडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड की सहायक कंपनी है जिसका निवल मूल्य 1150 करोड़ रुपए है। विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने मुंद्रा, कच्छ जिला, गुजरात में बहु उत्पाद एसईजेड (एमपीएसईजेड - भाग 2) में सह विकासक के लिए मैसर्स एडीकॉप मुंद्रा एसईजेड इनफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड के अनुरोध को मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया।

मद संख्या 4 : अधिकृत प्रचालनों के लिए अनुरोध

(i) मुंबई, महाराष्ट्र में बहु उत्पाद एसईजेड में अधिकृत प्रचालनों के लिए मैसर्स नवी मुंबई एसईजेड प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

विकासक ने प्रस्ताव पर विस्तृत प्रस्तुति दी। जहां तक जेट्टी का संबंध है, उन्होंने बताया कि 3 प्रस्तावित जेट्टी में से 2 जेट्टी एसईजेड के बाहर होंगी और 1 मरीना जेट्टी एसईजेड के अंदर होगी। विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने नीचे सूचीबद्ध अधिकृत गतिविधियों को इस शर्त के अधीन मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया कि अधिसूचित एसईजेड क्षेत्र से बाहर संचालित किसी गतिविधि के लिए कोई कर लाभ / ड्यूटी छूट उपलब्ध नहीं होगी।

- केवल एसईजेड के कर्मचारियों के प्रयोग के लिए एक मरीना जेट्टी (निम्नलिखित क्षेत्र के साथ)

क्र. सं.	विवरण	संख्या	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
1.	मरीना क्षेत्र पंटून (क्षेत्रफल 3300 वर्गमीटर) - मरीना के अंदर	1	5.00
2.	सुविधाएं और पार्किंग	1	1.35
3.	**मरीना जेट्टी परियोजना के अंतर्गत कुल क्षेत्रफल**		**6.35**
4.	ड्रेजिंग एरिया		7.32

- निम्नलिखित क्षेत्रफल के साथ दो हेलीपैड

क्र. सं.	विवरण	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
1.	हेलीपैड लैंडिंग एरिया	0.18
2.	हेलीपैड रोड एरिया	0.05
3.	हेलीपैड लांज एरिया	0.01
4.	पार्किंग एरिया	0.03
5.	लैंडस्केप एरिया	1.43
	कुल	**1.7**

- गैर प्रसंस्करण क्षेत्र में 100 केएल की क्षमता वाले 3 ईंधन स्टेशन

मद संख्या 5 : मैसर्स मायर इनफ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड के नाम में अनुमोदन अंतरित करने तथा बायोटेक एसईजेड स्थापित करने के प्रस्ताव को दो प्रस्तावों में विभाजित करने के लिए मैसर्स मायर इंडिया लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने मैसर्स मायर इनफ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड के नाम में औपचारिक अनुमोदन अंतरित करने के लिए मैसर्स मायर इंडिया लिमिटेड के अनुरोध को मंजूरी प्रदान की। अनुमोदन बोर्ड ने बायोटेक एसईजेड स्थापित करने के प्रस्ताव को निम्नलिखित दो प्रस्तावों में विभाजित करने के लिए के अनुरोध को भी मंजूरी प्रदान की :

क्र. सं.	**विकासक का नाम**	**लोकेशन**	**क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)**	**क्षेत्र**
1.	मयार इनफ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड	ग्राम राखा एवं रानी-का-सिंगोला, तहसील सोहना, जिला गुड़गांव, हरियाणा	25.64	जैव प्रौद्योगिकी
2.	मयार इनफ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड	ग्राम राखा एवं निमोठ, तहसील सोहना, जिला गुड़गांव, हरियाणा	12.67	जैव प्रौद्योगिकी

मद संख्या 6 : गोवा में औपचारिक रूप से अनुमोदित एसईजेड को जारी किए गए कारण बताओ नोटिस के मामले में निजी सुनवाई

चार औपचारिक रूप से अनुमोदित एसईजेड के विकासक अनुमोदन बोर्ड के समक्ष उपस्थित हुए। उन्होंने अपनी लिखित एवं मौखिक प्रस्तुतियों में मोटे तौर पर निम्नलिखित बातों का उल्लेख किया।

- चार में से तीन मामलों में स्वयं जीआईडीसी द्वारा विशेष रूप से केवल एसईजेड की स्थापना के लिए भूमि आवंटित की गई है। जीआईडीसी अभी भी उनसे किराया वसूल कर रहा है तथा अभी तक उनका आवंटन निरस्त नहीं हुआ है। आवंटित भूमि पहले ही औद्योगिक क्षेत्र के रूप में घोषित हो चुकी है, इसलिए कृषि भूमि के विपथन का कोई मामला नहीं है। उन्होंने राज्य सरकार की एजेंसियों से विभिन्न अनुज्ञप्तियां जैसे कि निर्माण लाइसेंस आदि भी प्राप्त किया है। इस मुद्दे पर, अनुमोदन बोर्ड ने उनसे निर्माण लाइसेंस जैसी अनुज्ञप्तियों तथा जीआईडीसी को भुगतान किए गए किराए की रसीद की प्रतियां एक सप्ताह के अंदर प्रदान करने का अनुरोध किया।
- पंचभूमि डवलपर्स के मामले में, उन्होंने बताया कि वे गोवा की एक स्थानीय कंपनी हैं और वे उत्तर गोवा में अपनी निजी भूमि पर एसईजेड स्थापित कर रहे हैं। उन्होंने यह

भी बताया कि उत्तर गोवा में रोजगार के अवसर ज्यादा नहीं हैं। वे उच्च न्यायालय में रिट याचिका दाखिल कर चुके हैं।

- विकासकों ने सिफारिश वापस लेने के बारे में राज्य सरकार से अब तक कोई संचार प्राप्त नहीं किया है।
- वे भूमि, परियोजना की आयोजना एवं तैयारी, परामर्शदाताओं की नियुक्ति, भूमि की फेंसिंग, सर्वे आदि में काफी निवेश कर चुके हैं।
- गोवा सरकार ने एसईजेड के लिए नीति अधिसूचित की है जो अभी तक वापस नहीं ली गई है।
- पैराडिगम लॉजिस्टिक्स डवलपर्स ने यह भी कहा कि वे आईटी / आईटीईएस एसईजेड का विकास कर रहे हैं जिसमें रोजगार के अधिकांश अवसर बीपीओ फर्मों में गोवा के स्थानीय युवाओं के लिए होंगे। वे स्थानीय युवाओं के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू कर चुके हैं।
- प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदनों को निरस्त करना 'प्रामिजरी एस्टोपेल' और 'वैध अपेक्षा' के सिद्धांत के खिलाफ होगा।
- यदि राज्य सरकार सिफारिश कर चुकी है तो उसे सिफारिश को वापस लेने का कोई अधिकार नहीं है। सिफारिश का हर हाल में प्रदान किए गए अंतिम अनुमोदन में विलय होता है। यदि सिफारिश भेजी जा चुकी है तो राज्य सरकार 'फंक्टस आफिसियो' हो जाती है।
- प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन हुआ है क्योंकि राज्य सरकार की सिफारिश वापस लेने से पूर्व उनको अपनी बात कहने का अवसर प्रदान नहीं किया गया।
- जालसाजी या मिथ्या निरूपण के मामलों को छोड़कर केन्द्र सरकार को औपचारिक अनुमोदन निरस्त करने का कोई अधिकार नहीं है।

विस्तार से उनकी बात सुनने के बाद अनुमोदन बोर्ड ने राज्य सरकार की टिप्पणी के लिए उनकी प्रस्तुतियों को राज्य सरकार के पास भेजने का निर्णय लिया क्योंकि बैठक में राज्य सरकार का कोई प्रतिनिधि उपस्थित नहीं था। राज्य सरकार की टिप्पणियां प्राप्त हो जाने के बाद अनुमोदन बोर्ड की अगली बैठक में मामले पर चर्चा होगी।

सारणी एजेंडा : शास्त्री पार्क, दिल्ली में डीएमआरसी के आईटी पार्क को एसटीपीआई से एसईजेड में परिवर्तित करने से संबंधित मुद्दा

शास्त्री पार्क में डीएमआरसी के आईटी पार्क को एसटीपीआई से एसईजेड में परिवर्तित करने से संबंधित मुद्दे पर विस्तार से चर्चा हुई। अनुमोदन बोर्ड ने संपूर्ण परिस्थितियों की जांच करने के बाद कहा कि यह एक विशेष मामला है जहां -

- एसईजेड की स्थापना के लिए आवेदन की तारीख को प्रस्तावित भूमि खाली पड़ी थी।
- यह मामला एसईजेड नियमावली के नियम 5 (3) के अंतर्गत आता है और इसलिए इसे ईजीओएम का अनुमोदन प्राप्त है।

- डीएमआरसी भारत सरकार तथा दिल्ली सरकार की संयुक्त उद्यम कंपनी है और यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित तथा समयबद्ध ढंग से परियोजनाओं का निष्पादन करने के लिए विख्यात है। इस समय एसईजेड के गैर अनुमोदन से परियोजना की वाणिज्यिक लाभप्रदता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।

उपर्युक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया गया कि वाणिज्य विभाग डीएमआरसी के अधिकारियों के साथ इस बात पर चर्चा करे कि क्या सभी मौजूदा एसटीपीआई यूनिटें -

- **सरकार को सभी प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कर लाभ वापस करने की इच्छुक हैं, जिनका एसटीपीआई स्कीम के अंतर्गत मौजूदा यूनिटों द्वारा अब तक दावा किया गया है।**
- **एसटीपीआई स्कीम से बाहर निकलने और एसईजेड की अधिसूचना के बाद एसईजेड अधिनियम एवं नियमावली के अंतर्गत मंजूरी पत्र प्राप्त करने की इच्छुक हैं।**

डीएमआरसी के अधिकारियों के साथ चर्चा के बाद निर्णय के लिए अगली बैठक में अनुमोदन बोर्ड के समक्ष मामला पुन: रखा जाएगा।

मुख्य एजेंडा की मद संख्या 8 : चिकित्सा क्षेत्र में सेवाएं प्रदान करने के लिए सूरत एसईजेड, साचिन में यूनिट स्थापित करने के लिए डा. विक्रम आई शाह, अहमदाबाद का प्रस्ताव

समयाभाव के कारण प्रस्ताव पर चर्चा नहीं हो सकी।